20रु. Rs.20
COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

371

समक्षः- माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

निग/3442/II/15

रामगोपाल वल्द बालाप्रसाद तिवारी

निवासी-ग्राम सैड़ारा तहसील बक्सवाहा जिला

छतरपुर ...पुनरीक्षणकर्ता

।। विरुद्ध ।।

राजेन्द्र वल्द रामकुमार पचोरी

निवासी-ग्राम सैड़ारा तहसील बक्सवाहा जिला

छतरपुर ...अनावेदक

पुनरीक्षण क्र॰ कं॰ ता॰ पेशी-

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा50 म॰प्र॰ भू॰रा॰ संहिताः

पुनरीक्षणकर्ता निम्न प्रार्थना करता है:-

पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण माननीय तहसीलदार बक्सवाहा द्वारा रा॰प्र॰क्र॰01अ/3 वर्ष 14-15 में पारित सीमांकन (तरमीम) आवेदन दिनांक 30•12•14 से परिवेदित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया है।

।। पुनरीक्षण के आधार ।।

1• यह कि, माननीय तहसीलदार बक्सवाहा जिला छतरपुर द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को सूचना पत्र दिए वगैर उत्तरवादी अनावेदक के पक्ष में एकपक्षीय तरमीम आदेश पारित कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जो आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

2• यह कि, माननीय तहसीलदार ने पुनरीक्षणकर्ता को सरहदी कृषक होते हुए भी तरमीम के पूर्व सूचना नहीं दी जबकि पुनरीक्षणकर्ता

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक – निग.3442-दो/2015

जिला-छतरपुर

रामगोपाल तिवारी विरूद्ध राजेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायालय तहसीलदार वक्सवाहा, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 40/अ-3/2014-15 में पारित सीमांकन (तरमीम) आदेश दिनांक 30-12-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 4. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 09/01/19 सदस्य	